सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीत सिंह संधू (आई0ए0एस0)
इजराय संख्या 07/2017

श्री गोपाल सिंह व अन्य **बनाम** श्री नरेन्द्र व अन्य
प्रार्थना पत्र वास्ते तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट पर आपत्तियों के संबंध में

आदेश दिनांक 18-3-19

डिक्रीदार/प्रार्थी के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशः कथन किए हैं कि तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 60 रकबा 04–18–10 में सहखातेदार के रूप में दर्ज चौथमल पि. नोला व सुवटी बेवा नोला का नाम डिक्री व आदेश में प्रतिवादी के रूप दर्ज नहीं होने बाबत् कथन किया है, जबकि दावा दायरी के वक्त चौथमल नाऔलाद फौत हो चुका है व सुवटी भी फौत हो चुकी है, नौला का एक मात्र वारिस नाथू है जो बतौर प्रतिवादी पक्षकार संख्या 21 के रूप में पक्षकार है। इसी प्रकार तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट में स्थगन आदेश होना अंकित किया है जबकि इसी मुकदमें के टी.आई. प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश जारी किया गया है, जो मूल वाद ही डिक्रीदारान के हम में निर्णित हो चुका है। इसी प्रकार जो साबिक खसरा संख्या 06–10–00 होना बताया है और हाल खसरा नम्बर 60 का रकबा 04–18–10 होना अंकित किया है जबकि निर्णय व डिक्री में कुल रकबा 04–18–10 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने के स्पष्ट आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 30 सम्पत का हिस्सा बैंक में मुर्तहीन दर्ज होना अंकित किया है, इसलिये उसके हिस्से के अलावा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार तहसीलदार ब्यावर को पालना हेतु आदेश दिया जाना आवश्यक है।

वकील डिक्रीदार को सुना गया जिनके कथन कमोबेश उनके उक्त प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम रामपुरा गून्दा का बाला की हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 60 रकबा 04–18–10 में सहखातेदार के रूप में दर्ज चौथमल पि. नोला व सुवटी बेवा नोला का नाम डिक्री में प्रतिवादी के रूप में दर्ज नहीं है, जिनकी मृत्यु होने के कथन वादी ने अपने वादपत्र में अंकित नहीं किये हैं। वादपत्र में अंकित साबिक खसरा नम्बर व उनके हाल नम्बर वादपत्र में अंकित किये हैं जिनका कुल रकबा जोड़ने पर 06–10–00 बनता है जिसमें हाल नम्बरों के रकबे का पृथक से कोई खुलासा वादपत्र में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह इजराय इस आशय से ड्राप की जाती है कि डिक्रीदार अपने मूल वाद में प्राथमिक डिक्री में आवश्यक संशोधन हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 18.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.11.30 16:19:39 IST
Reason: SelfAttested